

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-838 / 07संस्थित दिनांक-20.12.07

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1-ज्ञानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह परिहार उम्र 36 साल

निवासी रणधीर कॉलोनी ग्वालियर म0प्र0

पूर्व से निर्णित 2-धर्मेन्द्र उर्फ घण्टोली पुत्र अतरसिंह वैसदि0 11.01.16 उम्र 32 साल, निवासी चारशहर का नाका ग्वालियर

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 03.03.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1-बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 02.10.2007 को समय 18:30 बजे, तेहरा रोड गोहद चौराहा पर अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस रखा।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 02.10.07 को थाना गोहद चौराहे पर पदस्थ थाना प्रभारी आशीष पंवार को जय मुखबिर टेलीफोन से सूचना मिली कि दो व्यक्ति तेहरा रोड पर हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल पर लोडेड कट्टा 315 बोर के लगाए खड़े हैं। उक्त सूचना पर मय फोर्स के रवाना होकर सूचना की तस्दीक हेतु तेहरा मोड पर पहुंचे तो वहां बताए गए व्यक्ति और मोटरसाईकिल नहीं मिले। आसपास देखा तो नहीं मिले। समक्ष गवाह जिमीपाल व लल्लू मेहतर को सूचना बताकर साथ लिया तथा तेहरा रोड पर वाहन चैकिंग प्रारंभ की। थोड़ी देर बाद मोटरसाईकिल एम0पी0-07 के0के0-9741 पर आते दिखे। संदिग्ध होने से उन्हें घेरकर पकड़ा। तलाशी लेने पर दोनों की कमर में पेंट के नीचे एक-एक कट्टा 315 बोर का लोडेड मिला, जिसके चैम्बर को खोलकर देखा तो एक-एक कारतूस पीतल का जिंदा मिला। अभियुक्तगण से पूछताछ कर नाम पता पूछा तो उन्होंने नाम पता बताया। अभियुक्त से आग्नेय आयुध जब्त कर जब्ती पत्रक बनाए, उन्हें गिरफ्तार कर गिरफ्तार पत्रक बनाए। थाना आकर अप0क0-164/07 पर अपराध पंजीबद्ध किया। दौरान अनुसंधान साक्षियों के कथन लेख किए गए। जप्तशुदा कट्टा व कारतूसों की जांच कराई गई। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.10.2007 को समय 18:30 बजे, तेहरा रोड गोहद चौराहा पर अपने आधिपत्य में एक कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस रखा ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर एक कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस बिना वैध अनुज्ञप्ति के संधारित किए ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में लल्लू अ0सा0 1, आशीष पंवार अ0सा0 2, अजीम खान अ0सा0 3, कल्याण शुक्ला अ0सा0 04, राजकिशोर सिंह अ0सा0 05 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों को एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

6. प्रकरण में आशीष पंवार अ0सा0 2 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 02.10.07 को थाना गोहद चौराहे पर थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। उन्हें मुखबिर ने फोन पर सूचना दी कि दो व्यक्ति हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल पर लोडेड कट्टा लिए खड़े हैं जिसकी उन्होंने सूचना रोजनामचा सान्हा 49 पर दर्ज की और रोजनामचा सान्हा 50 पर अंकित कर रवाना होकर तेहरा रोड पर पहुंचे जहां वाहन चैकिंग आरंभ की। थोड़ी देर बाद मोटरसाईकिल एम0पी0-07 के0के0-9741 पर दो व्यक्ति तेहरा गांव तरफ से आए। संदिग्ध होने से उन्हें पकड़कर तलाशी ली तो उनकी कमर में पैंट में एक-एक 315 बोर का कट्टा लोडेड हालत में मिला। कट्टे के चैम्बर में 315 बोर का एक एक कारतूस मिला। अभियुक्तगण से कट्टा कारतूस रखने का वैध प्रपत्र (अनुज्ञप्ति) चाहे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अभियुक्त ज्ञानसिंह के कब्जे से 315 बोर का कट्टा व कारतूस जब्ती पत्रक प्र0पी0 2 के अनुसार जब्ती पंचनामा बनाया और उसे गिर0 कर गिर0 पत्रक प्र0पी0 4 बनाया। थाने वापस आकर रोजनामचा वापसी दर्ज की गयी। उसके उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 25, 27 आयुध अधि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया जिसे प्र0पी0 6 बताकर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

7. प्रकरण में कथित जब्ती पत्रक के साक्षी जिमीपाल एवं लल्लू मेहतर बताए गए हैं। जिमीपाल की विचारण के दौरान मृत्यु हो गयी, उसका कथन नहीं लिया जा सका। अन्य साक्षी लल्लू मेहतर अ0सा0 1 के रूप में परीक्षित कराया गया जो अपने अभिसाक्ष्य में न तो अभियुक्त को जानता है और

न उसके समक्ष कोई कार्यवाही होने का समर्थन करता है। साक्षी मात्र जब्ती पत्रक प्र0पी0 2 व गिर0 पत्रक प्र0पी0 4 पर अपने हस्ताक्षर ए से ए भाग पर होना स्वीकार करता है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें भी साक्षी उसके समक्ष अभियुक्त से कोई 315 बोर का कट्टा व जीवित कारतूस जब्त किए जाने के तथ्य से इंकार करता है। साथ ही पुलिस कथन प्र0पी0 5 के विनिर्दिष्ट भाग पुलिस को दिए जाने से इंकार करता है। इस प्रकार से प्र0पी0 2 के जब्ती पत्रक के कार्यवाही के संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी से अभियुक्त के आधिपत्य से कट्टा व कारतूस की जब्ती समर्थित नहीं हैं।

8. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा कथित जब्ती प्रमाणित नहीं हैं ऐसे में अभियुक्त को मिथ्या रूप से लिप्त किया है। साक्ष्य विधि के अधीन ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जावे अथवा पुलिस साक्षी की साक्ष्य का स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थन होना आवश्यक हो। किन्तु यह तथ्य अवश्य है कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य को साधारण साक्षी की भांति ही विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता है। अभियोजन का दायित्व उस दशा में और अधिक बड़ जाता है जबकि स्वतंत्र साक्षी द्वारा पुलिस कार्यवाही का समर्थन न किया गया हो।

9. आशीष पंवार अ0सा0 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कथन करते हैं कि वे घटना स्थल के लिए शाम को 6 बजे रवाना हुए थे किन्तु यह याद नहीं है कि किस वाहन से रवाना हुए। उनके साथ उस समय प्र0आर0 कल्याण शुक्ला का जाना बताते हैं किन्तु अन्य दो तीन आरक्षक के नाम याद न होना बताते हैं। साक्षी कण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि कट्टा कारतूस सीलबंद किए जाने का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है, कण्डिका 5 में स्वीकार करते हैं कि जब्ती पत्रक प्र0पी0 2 के कॉलम नं0 13 में नमूना सील वाला कॉलम खाली छूटा हुआ है। साथ ही इसी कण्डिका में स्वीकार करते हैं कि प्र0पी0 2 के जब्ती पत्रक में अभिकथित कारतूस की कोई आकृति नहीं बनी है। प्रकरण में जहां आशीष पंवार अ0सा0 2 थाने से सूचना उपरांत अभिकथित आग्नेय आयुध को जब्त करने के लिए रवाना होने का कथन करते हैं। उनके द्वारा यदि जब्ती की गयी तो उसके लिए नमूना सील महत्वपूर्ण समर्थनकारी साक्ष्य हो सकती थी, जिसका अभाव संदेहपूर्ण स्थिति को निर्मित करता है।

10. साक्षी आशीष पंवार अ0सा0 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करता है कि साक्षी लल्लू पुलिस थाना गोहद चौराहा पर स्वीपर है, यह भी कण्डिका 4 में स्वीकार करते हैं कि वहां बने मकानों में रहने वालों एवं राहगीरों को प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया है तथा कण्डिका 4 में इस तथ्य को भी स्वीकार करते हैं कि घटनास्थल चालू रास्ता है जिस पर काफी वाहन निकलते रहते हैं तथा रेल्वे फाटक चौराहे की तरफ मकान बने हैं जिनमें लोग रहते हैं। साक्षी का घटनास्थल व आसपास

आम व्यक्तियों की उपस्थिति का स्थान होने पर भी थाने के स्वीपर को साक्षी बनाया जाना संदेहपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करता है। कल्याण शुक्ला अ0सा0 4 भी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 एवं 3 में स्वीकार करते हैं कि कथित साक्षी लल्लू थाने पर स्वीपर था। इसके अतिरिक्त भी उक्त साक्षी लल्लू अ0सा0 1 अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता है। ऐसे में अभियुक्त से अपराध में अभिकथित आग्नेय आयुध की जब्ती होने का तथ्य स्वयं अभियोजन की प्रस्तुत साक्ष्य से संदेहास्पद हो जाता है।

11. कल्याण शुक्ला अ0सा0 4 प्रकरण में अनुसंधानकर्ता होने के साथ साथ घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में उसके समक्ष किसी जब्ती कार्यवाही का कथन नहीं करता। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कथन करता है कि मौके पर जब अभिकथित लडकों को पकड़ा तब 10-20 आदमियों की भीड़ थी। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह बताने में अस्मर्थ है कि आरोपी से कितने कट्टे कारतूस जब्त हुए थे। साथ ही यह भी बताने में अस्मर्थ है कि कथित मोटरसाईकिल को कौन चला रहा था। ऐसे में कथित जब्ती का साक्षी होने पर उसका कथन अभियोजन के मामले की संदिग्धता को और बड़ा देता है।

12. प्रकरण में अजीम खां अ0सा0 3 अभियोजन स्वीकृति साक्षी हैं जो दिनांक 23.10.07 को तत्कालीन जिला दण्डाधारी श्री सुहैल अली के द्वारा अपराध की केस डायरी मय आग्नेय आयुध प्रस्तुत होने पर प्रपी0 7 की अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने तथा ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी व बी से बी भाग पर अपने लघु हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई सारवान कथन नहीं आया है जो कि उसकी साक्ष्य को दूषित करता हो। साक्षी द्वारा प्र0पी0 7 का आदेश भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 47 के अधीन कारवार के सामान्य अनुक्रम में परिचित व्यक्ति की साक्ष्य होने से सुसंगत होकर प्रमाणित है।

13. राजकिशोरसिंह अ0सा0 5 अपने अभिसाक्ष्य में संबंधित अपराध क्रमांक में जब्तशुदा कट्टा कारतूस जांच हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 19.10.07 को उनकी जांच करने पर कट्टो का चालू हालत में होने व कारतूस जीवित होने के संबंध में कथन करते हैं, परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 8 बताकर उस अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। उसकी साक्ष्य में भी ऐसी कोई सारवान बात प्रकट नहीं हुई जो कि उसके अभिसाक्ष्य के दूषित करती हो। ऐसे में प्र0पी0 8 की रिपोर्ट प्रमाणित की गयी है।

14. प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि थाना प्रभारी आशीष पंवार अ0सा0 2 उन्हें मुखबिर से दो व्यक्तियों का 315 बोर का कट्टा लगाए तेहरा रोड पर खड़े होने के संबंध में सूचना मिलने का कथन करते हैं। प्र0पी0 8 की प्राथमिकी में जब्ती के पूर्व ही कट्टा के बोर का उल्लेख किया जाना प्रकरण में एक ओर संदेहपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करता है। प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियुक्त से अभिकथित कट्टा व कारतूस की जब्ती का समर्थन न किया जाना, कथित जब्ती स्थल पर स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति के बावजूद भी थाने के हितबद्ध साक्षी लल्लू अ0सा0 1 को

जब्त का साक्षी बनाया जाना, अनुसंधानकर्ता व जब्तकर्ता के द्वारा कथनों में किया गया विरोधाभास, अनुसंधानकर्ता कल्याण शुक्ला अ0सा0 4 का कथित मोटरसाईकिल के चालक को बता पाने में अस्मर्थता और अभियुक्तगण से कितने कट्टे व कारतूस मिले इस संबंध में कथन करने में अस्मर्थता अभियोजन के मामले को संदिग्ध बना देता है। उपरोक्त विवेचन में अभियोजन के मामले में सारवान विसंगतियां व संदिग्ध परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। ऐसे में संदिग्ध परिस्थितियों के बावजूद अभियुक्त को अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना सुरक्षित नहीं हैं।

15. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। “सत्य हो सकता है” और “सत्य होना चाहिए” के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 02.10.2007 को समय 18:30 बजे, तेहरा रोड गोहद चौराहा पर अपने अधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस रखा। अतः अभियुक्त को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

17. प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा व कारतूस अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजे जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

18. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश